7-A
/

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बुलन्दशहर

फौजदारी वाद संख्या- 594 सन 2021

राज्य बनाम राहुल उपाध्याय
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी),
जनपद -बुलन्दशहर

धारा- 323,504,228 भा०दण्ड संहिता

थाना- कोतवाली नगर

जिला- बुलन्दशहर।

18-01-2021

श्री वीरेन्द्र कुमार -III अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश(पास्को अधिनियम) जनपद बुलन्दशहर के द्वारा इस न्यायालय को परिवाद -पत्र मय सूची गवाहान व सूची कागजात एवं फौजदारी विविध वाद संख्या-336/2020, नवनीत शर्मा बनाम राहुल उपाध्याय की पत्रावली प्रेषित करायी गयी है।

परिवाद पत्र दिनांकित 15-01-2021 के द्वारा श्री वीरेन्द्र कुमार-III अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश(पास्को अधिनियम) जनपद बुलन्दशहर ने राहुल उपाध्याय जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध धारा-323,504,228 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन प्रसंज्ञान लिया जा कर कार्यवाही किए जाने हेतु आदेशित किया गया है।

अतः माननीय श्री वीरेन्द्र कुमार -III न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश(पास्को अधिनियम) जनपद बुलन्दशहर द्वारा इस न्यायालय को प्रस्तुत किये गये परिवाद -पत्र एवं संलग्नक अभिलेखों के आधार पर राहुल उपाध्याय जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) जनपद बुलन्दशहर के विरूद्ध धारा 323,504,228 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर विचारण किया जाना न्यायसंगत होगा।

<u>आदेश</u>

राहुल उपाध्याय ,जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) जनपद बुलन्दशहर के विरूद्ध धारा 323,504,228 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद दर्ज रजिस्टर हो। अभियुक्त राहुल उपाध्याय द्वारा सम्मन तलब हो।

पत्रावली वास्ते हाजरी मुल्जिम दिनांक 03-02-2021 को पेश हो।

(अस्पष्ट) 18/01/2021
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बुलन्दशहर।
18-01-2021

श्री वीरेन्द्र कुमार -III,अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश(पास्को अधिनियम) जनपद बुलन्दशहर के द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में स्वयं के शासकीय कार्य / न्यायिक कार्य में व्यस्त रहने का कथन किया है जिस कारण उपरोक्त वाद का संचालन इस न्यायालय में कार्यरत अभियोजन अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(अस्पष्ट) 18/01/2021
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बुलन्दशहर।
18-01-2021

एस०एम०मुम्ताज मुल्ला,
स्टेनो।

सत्य प्रतिलिपि
18/1/21
मु० आशुलिपिक
अपर न्यायालय
बुलन्दशहर

18 JAN 2021